

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

भदालत -

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम - खेरवाडा

..... वनाम
 मुकदमा 212 R.J. Act. 39 दिनांक 12 नं. 15/2020
 14/ सत्र 2018 15/2020

ख र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>29-7-20 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रातवाबा उपास्थत। गैरसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ पेश - 144..... होने से पत्रावली दिनांक 28-9-20 को पेश होंगे</p>	
	<p>28-9-20 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रातवाबा उपास्थत। गैरसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ पेश - 144..... होने से पत्रावली दिनांक 11-11-20 को पेश होंगे</p>	
	<p>11-11-20 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रातवाबा उपास्थत। गैरसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ पेश - 144..... होने से पत्रावली दिनांक 17-12-20 को पेश होंगे</p>	
	<p>17-12-20 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। 3 बार आवाज लगाई गई, परन्तु उभय पक्ष अनुपस्थित पाया गया। पूर्व में भी 0-9 2-3 कई तरह वाद खारिज किया जा चुका है। वादी अधिवक्ता द्वारा 0-9, 12-9 का डा. पत्र पेश करने के उपरान्त वाद को पुनः दर्ज किया गया परन्तु पुनः उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। अतः 0-9 12-3 में अदम होजरी अदम पेशी में पत्रावली खारिज भी जाती है। पत्रावली दायिम रफ्तार रही जाये।</p>	

स्थायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी
 खेरवाडा, जि. उज्जैन (राज.)